## न्यायालयः:गोपेश गर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड

आपराधिक प्रकरण क्रमांक—.840 / 2010 संस्थापन दिनांक—23.12.2010

म0प्र0 राज्य द्वारा पुलिस थाना <u>मालनपुर</u> जिला भिण्ड म0प्र0

----अभियोजन

बनाम मानसिंह गुर्जर पुत्र मुंशीसिंह गुर्जर निवासी लक्ष्मणगढ़ थाना महाराजपुरा जिला ग्वालियर

----अभियुक्त

🚺 / अध्याय २१ द०प्र०सं० के अधीन संक्षिप्त विचारण / /

## <u>—::अपराध विवरण:—</u> अंतर्गत धारा 251दपस

मैं, गोपेश गर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड, आप आरोपी <u>मानसिंह पुत्र मुंशीसिंह गुर्जर</u> को निम्नलिखित अपराध की विशिष्टियां पढ.कर सुनाता व समझाता हूँ कि :—

- 1 आपने दिनोंक 29.01.10 को 18:30 बजे थाना मालनपुर के सामने मालनपुर जिला भिण्ड पर वाहन क्रमांक एम0पी0—33—बी.ए.6186 को सार्वजनिक स्थान पर बिना प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति के चलाया जो धारा 3 / 181 मोटरयान अधिनियम के अधीन दण्डनीय है।
- 2 उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन सार्वजिनक स्थान पर बिना रिजस्टीकरण के चलाया जो धारा 39 / 192 मोटरयान अधिनियम के अधीन दण्डनीय है।
- 3 उक्त दिनांक समय व स्थान पर वाहन को सार्वजनिक स्थान पर बिना परव्यक्ति जोखिम बीमा के चलाया। जो धारा 146 / 196 मोटरयान अधिनियम के अधीन दण्डनीय है।

आपका उक्त अपराध उपरोक्त धारा के अधीन दण्डनीय अपराध है जो इस न्यायालय के संज्ञान में है मै एतद् द्वारा निदेश देता हूँ कि आपके उक्त अपराध का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जावे ।

सही / – गोपेश गर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड

अभियुक्त का अभिवाक्— अंतर्गत धारा 251 द.प्र.सं

सही / – गोपेश गर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड

## <u>निर्णय</u>

## ( आज दिनांक 19.01.2017 को पारित किया गया )

- आरोपी द्वारा की गयी स्वेच्छापूर्वक दोषसिद्धि के अभिवाक के परिणामस्वरूप आरोपी को धारा 3/181,
  181,
  192, 146/196 मोटरयान अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है ।
- 2 आरोपी को निम्न तालिका अनुसार दण्डित किया जाता है

धारा	कारावास	अर्थदण्ड	अर्थदण्ड जमा करने के व्यतिक्रम की दशा में
3.00			कारावास
3/181 मोटरयान अधिनियम	कुछ नहीं।	पांच सौ रूपये	पांच दिवस
146 / 196 मोटरयान अधिनियम	कुछ नहीं।	एक हजार रूपये	पांच दिवस
39 / 192 मोटरयान अधिनियम	कुड पहीं	दो हजार रुपये	दस दिवस

सही/-

गोपेश गर्म जे.एम.एफ.सी गोहद जिला मिण्ड